

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-260/12

संस्थित दिनांक-10.05.2012

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

प्रदीप पुत्र श्रीकृष्ण गोस्वामी उम्र 30 साल

निवासी पण्डा वाली गली नहर मौहल्ला गोहद

जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 11.09.17 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181 एवं 146/196 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 19.12.11 को 4 बजे ग्राम चितौरा के पास बंबा रोड गोहद में मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी०-30 एम०बी०-7648 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति व बिना बीमा के चलाया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि० की धारा 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181 एवं 146/196 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी रामलखन दिनांक 19.12.11 को शाम चार बजे साईकिल से अपने गांव जा रहा था। जैसे ही चितौरा बंबा के पास पहुंचा तभी पीछे से एक मोटरसाईकिल चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी साईकिल में टक्कर मार दी जिससे वह गिर पड़ा, उसके सिर व बाएं हाथ में मुदी चोटें आईं। उसने मोटरसाईकिल नंबर एम०पी० 30 एम०बी० 7648 को देख लिया। मौके पर काफी लोग आ गए। इसके बाद थाना गोहद में अप०क्र० 278/11 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए वाहन जब्त कर जब्तीपत्रक,

अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.12.11 को 4 बजे ग्राम चितौरा के पास बंबा रोड गोहद में मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी०-30 एम०बी०-7648 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति व बिना बीमा के चलाया। ?

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में धीरसिंह अ०सा० 1, लाखनसिंह अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

#### // विचारणीय प्रश्नों पर निष्कर्ष //

7. फरियादी लाखन अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में घटना 5-6 साल पहले शाम के 4-5 बजे चितौरा के पास बंबा की होना बताते हैं और यह कथन करते हैं कि वे साईकिल से जा रहे थे। इतने में मोटरसाईकिल पीछे से आई और उसकी साईकिल गिर गयी, वह भी गिर गया तथा उसे सिर व कंधे में चोट आई, वह बेहोश हो गया था। लोग उसे थाने ले गए थे। साक्षी यह बताने में अस्मर्थ है कि मोटरसाईकिल किस की थी तथा उसे कौन चला रहा था। साक्षी रिपोर्ट में किसी मोटरसाईकिल का नंबर न लिखाए जाने का कथन करते हैं। साक्षी द्वारा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है, न ही कथित मोटरसाईकिल के उपेक्षा या उतावलेपन से चलकर मानव जीवन संकटापन्न करने का कोई कथन किया है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न में अभिकथित मोटरसाईकिल नंबर एम०पी० 30 एम०बी० 7648 काले रंग की गाडी के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार देने का सुझाव दिया गया, जिसे साक्षी द्वारा अस्वीकार किया गया। साक्षी ने रिपोर्ट प्र०पी० 2 में विनिर्दिष्ट बी से बी तथा पुलिस कथन प्र०पी० 4 के ए से ए भाग पर कथित मोटरसाईकिल नंबर एम०पी० 30 एम०बी० 7648 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में तथ्य लेख कराए जाने से इंकार किया है।

8. प्रकरण में घटना कथित चक्षुदर्शी साक्षी धीरसिंह अ०सा० 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया जो 5-6 साल पहले गोहद बंबा के पास एक्सीडेंट होने का तथ्य तो प्रकट करता है, किन्तु अभिसाक्ष्य में अभिकथित एक्सीडेंट किस व्यक्ति का हुआ तथा किस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया, इसके संबंध में कोई भी कथन करने में अस्मर्थ है। इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित किया गया जो सूचक प्रश्नों में अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन करने में अस्मर्थ रहा है। इस प्रकार से स्वयं आहत लाखन अ०सा० 2 जो दुर्घटना के पश्चात् बेहोश हो जाने का कथन करते हैं, अभियुक्त के कथित मोटरसाईकिल चालक होने के संबंध में सूचक प्रश्नों में इंकार करते हैं। ऐसे में कथित मोटरसाईकिल नंबर एम०पी० 30 एम०बी० 7648 के द्वारा आहत का दुर्घटनाग्रस्त होना तथा उक्त मोटरसाईकिल को अभियुक्त द्वारा संचालित किए जाने के संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

9. संहिता की धारा 279 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए वाहन के अभियुक्त द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने के संबंध में तर्क पूर्ण साक्ष्य होना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन का तर्क है कि प्रकरण में फरियादी व आहत द्वारा राजीनामा कर लिया गया है किन्तु आहतगण द्वारा राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। जहां तक प्र०पी० 2 की प्राथमिकी, प्र०पी० 1 व 4 के पुलिस कथन का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के संबंध में विरोधाभास और लोप को दर्शाने हेतु किया जा सकता है। स्वयं दस्तावेज सारवान साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं। दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.12.11 को 4 बजे ग्राम चितौरा के पास बंबा रोड गोहद में मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी०-30 एम०बी०-7648 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति व बिना बीमा के चलाया। अतः अभियुक्त को धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

12. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

13. अभियुक्त की निरोधावधि यदि हो तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश